

पूर्वोत्तर रेलवे

श्री अमिताभ ओझा, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक

के मार्गदर्शन

एवं

श्री रवि मिश्र, कार्य कुशलता अधिकारी

के निर्देशन में

सम्पादित

“उप मुख्य इंजीनियर, गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान निरीक्षक के अधीन
कर्मचारी संख्या की समीक्षा”

द्वारा

कार्य कुशलता संगठन

पूर्वोत्तर रेलवे

गोरखपुर

कार्याध्ययन संख्या — एन0ई0/7/2020-21

मिसिल संख्या — प्र/560/1/2020-21/7

अधिशसकीय सार

1.	क्रम संख्या	—	7
2.	कार्याध्ययन संख्या	—	एन0ई0 / 7 / 2020—21
3.	मिसिल संख्या	—	प्र / 560 / 1 / 2020—21 / 7
4.	विषय	—	“उप मुख्य इंजीनियर, गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान निरीक्षक के कर्मचारी संख्या की समीक्षा”
5.	विभाग	—	इंजीनियरिंग
6.	प्राधिकार	—	वउमप्र द्वारा अनुमोदित कार्याध्ययन सूची वर्ष 2020—21 के अनुसार ।
7.	संदर्भित सीमायें:—	(1)	कर्मचारियों की उपयोगिता का परीक्षण ।
		(2)	मितव्ययिता के दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन करना ।
8.	कार्याध्ययन में कर्मचारियों की संख्या जिनका कार्याध्ययन किया गया	—	30
9.	संस्तुति सारांश	—	पृष्ठ संख्या— II
10.	अभ्यर्पण हेतु पदों की संख्या	—	02
11.	वित्तीय बचत	—	र 15.86 लाख
12.	वितरण तिथि	—	सितम्बर / 2020

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आभार	I
2.	संस्तुतियाँ एवं सुझाव	II
3.	वित्तीय परिणाम	III
4.	अध्याय—प्रथम	1
	प्रस्तावना, एवं संदर्भित सीमायें ।	
5.	अध्याय— द्वितीय	2—4
	संगठन, कर्मचारी संख्या एवं कार्य क्षेत्र	
6.	अध्याय— तृतीय	5—6
	आलोचनात्मक विश्लेषण, संस्तुतियाँ एवं सुझाव	

(I)

आभार

कार्याध्ययन दल श्री रविन्द्र मेहरा, उप मुख्य इंजीनियर, गोरखपुर क्षेत्र, एवं श्री अलोक श्रीवास्तव, सहायक सहायक नगर अभियन्ता/दक्षिण एवं दिलीप कुमार, सहायक नगर इंजी०/उत्तर के तकनीकी निर्देशन एवं कार्यों के संबंध में उपयोगी सूचनाओं के मार्गदर्शन हेतु अत्यन्त आभारी हैं।

कार्याध्ययन दल श्री रणविर सिंह एवं श्री राज कुमार श्रीवास्तव, उद्यान निरीक्षक, गोरखपुर का भी आभारी हैं, जिन्होंने कार्याध्ययन के लिए वॉछित ऑकडे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया।

(II)

संस्तुतियाँ

क्र०सं०	संस्तुति	मद सं०
1.	यह संस्तुति दी जाती है उद्यान निरीक्षक ईकायों के अधीन ग्रुप "डी" के 02 पद जो आवश्यकता से अधिक पाये गये हैं उन्हें अतिशीघ्र अभ्यर्पित किया जाय।	3.9.1

(III)

वित्तीय परिणाम

कार्याध्ययन में दी गयी संस्तुतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप रेल प्रशासन को होने वाली अनुमानित वार्षिक बचत के आकलन निम्नवत् है:—

क्र.सं.	कोटि	लेवल	पदों की सं.	मासिक बचत प्रति पद (रु० में)	वार्षिक बचत प्रति पद (रु० में)
1	खलासी / माली	1	02	66119	1586856
योग			02		1586856

कुल आवर्ती बचत = रु० पन्द्रह लाख छियासी हजार आठ सौ छप्पन मात्र

अध्याय— प्रथम

1.1 प्रस्तावना, संदर्भित सीमायें एवं कार्याध्ययन विधि :-

- 1.2 उत्पादकता, आपरेटिंग रेशियों में निरन्तर सुधार हेतु रेलवे बोर्ड अथवा स्थानीय स्तर पर निर्णय लिये जाते रहें हैं। इसके लिये तकनीकी उन्नयन पद्धति सर्वधन के साथ यह आवश्यक है कि कर्मचारी संख्या की भी पुर्नसमीक्षा समय के साथ-साथ किया जाय। क्योंकि कर्मचारी के वेतन आदि पर रेल राजस्व का अत्यधिक भार है। इस हेतु आवश्यक है कि नान कोर एक्टिविटी एवं ऐसी कोटि जिन्हे आसानी से आउटसोर्स किया जा सकता है उसकी संभावनाओं को तलाशा जाय। इस उद्देश्य से वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक महोदय द्वारा “ उप मुख्य इंजीनियर गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत उद्यान निरीक्षक के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा विषय पर कार्याध्ययन” वर्ष 2020-21 की कार्याध्ययन सूची में अनुमोदित किया है।

1.3 कार्याध्ययन निम्न संदर्भित सीमाओं सहित सम्पादित किया गया :-

1. कर्मचारियों की उपयोगिता का परिक्षण करना।
2. मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन।

अध्याय— द्वितीय

2.0 संगठन, कर्मचारी संख्या, एवं कार्य क्षेत्र :-

2.1 उद्यान संबंधी कार्य इंजीनियरिंग विभाग के वर्क्स इकाई के अंतर्गत आता है। यह कार्य अधिकांश इकाईयों पर सी.से.इं./कार्य के अधीन है परन्तु मुख्यालय में सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं उच्च अधिकारियों के बंगले क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थित होने के कारण यहाँ पर पर्यवेक्षकीय कार्य हेतु 02 पद उद्यान निरीक्षक का स्वीकृत है। इस इकाई का संपूर्ण नियंत्रण उप मुख्य इंजीनियर/गोरखपुर क्षेत्र के अधीन है। इनके अधीन सहायक नगर अभियन्ता/दक्षिण एवं उत्तर सहयोग एवं समन्वय हेतु कार्यशील है।

2.2 कर्मचारी संख्या :- मल्टीस्किлинг के तहत इस इकाई के अंतर्गत उद्यान कार्य हेतु माली, खलासी एवं चौकीदार के पद समन्वित रूप से कार्यरत हैं। जिनकी स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या निम्नवत् है :-

2.2 इस इकाई के कर्मचारियों की कोटिवार स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या निम्नवत् है :-

क्रम सं०	कोटि	लेवल	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
	माली	1	28	13
4	खलासी	1	2	10
5	एवजी खलासी	1	—	1
6	चौकीदार	1	—	1
	योग		30	25

अध्याय — तृतीय

3.0 आलोचनात्मक विश्लेषण, संस्तुति एवं सुझाव :-

3.1 गोरखपुर क्षेत्रीय मुख्यालय में उद्यान संबंधी कार्यों हेतु पर्यवेक्षकीय नियंत्रण दो उद्यान निरीक्षकों के अधीन है जिनके कार्य क्षेत्र निम्नवत् है :-

3.2 इकाई-1 (नर्सरी-1/कौवाबाग) इस इकाई के कार्य क्षेत्र :- विछिया रेलवे कालोनी, मॉडल रेलवे कालोनी, कौवाबाग रेलवे कालोनी, डेयरी रेलवे कालोनी, बौलिया रेलवे कालोनी, जटेपुर रेलवे कालोनी, विकास रेलवे कालोनी एवं कृष्णा नगर कालोनी तक है। जो कि सीसेइ/कार्य/विछिया, मध्य, जटेपुर/नार्थ डेयरी के कार्य क्षेत्र में आता है। इनके अंतर्गत नर्सरी-1 और सर्विस विल्डिंग में ल.ना.मिश्र रेलवे चिकित्सालय आता है। यह इकाई अधिकारी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से सहायक नगर इंजी0/नार्थ के क्षेत्र में आता है।

3.2.1 इकाई-2 (नर्सरी-2) इस इकाई के कार्य क्षेत्र :- इस इकाई के कार्य क्षेत्र का विस्तार मोहददीपुर रेलवे कालोनी, स्टेडियम रेलवे कालोनी, गोल्फ रेलवे कालोनी, बी.जी. रेलवे कालोनी, आर.पी.एफ. रेलवे कालोनी, माचिस कालोनी, रामगढ ताल कालोनी तक है। जो कि सीसेइ/कार्य/दक्षिण कालोनी, विछिया एवं गोरखपुर कैंन्ट के कार्य क्षेत्र में आता है। इनके अंतर्गत नर्सरी-2 एवं आफिसियल विल्डिंग में महाप्रबन्धक कार्यालय एवं अन्य सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय आते हैं। यह इकाई अधिकारी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से सहायक नगर इंजी0/दक्षिण के नियंत्रण में कार्यरत है।

3.3 इस इकाई के कार्य लगभग 15 वर्ष पहले पूर्ण रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा सम्पादित होते थे। लेकिन कार्य दक्षता मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकंश कार्य को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाने लगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से निम्न कार्य सम्पादित होते हैं :-

1. गोबर खाद की सप्लाई
2. हेज कटिंग
3. मौसम के अनुसार फूल के पौधों की सप्लाई जैसे एन्ट्राइनम, प्लाक्स, स्लैविया, वालसभ, कैलेन्डुला, आफिक्नेलिस, पोधी, कारनेसन, कारनेसन हाइब्रिड आदि।
4. लान घास कटिंग।
5. नया लान लगाना।
6. गमला सप्लाई।

7. ग्लेडिओली की सप्लाई, डहेलिया, गुलदावरी, के पौधों की सीजनल सप्लाई निर्धारित दर पर।
 8. जंगल कटिंग।
 9. पौधे लगाने का कार्य आदि।
- 3.4 उपरोक्त कार्य निर्धारित दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से किये जाते हैं। जिसका पर्यवेक्षण विभागीय कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तथा कान्ट्रेक्ट पर लगाये गये कर्मचारी संख्या के अनुसार कर्न्जवेन्सी चार्ज काटे जाते हैं जिसका रिकार्ड उद्यान निरीक्षक द्वारा मेन्टेन किया जाता है।
- 3.5 उपरोक्त कार्य हेतु दोनो उद्यान निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में निम्न बजट निर्धारित है :-

उद्यान निरीक्षक	—	1	=	2477046.70
उद्यान निरीक्षक	—	2	=	1956340.60

- 3.6 उपरोक्त कार्य एवं बजट के अतिरिक्त निर्धारित नीति के अनुसार महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष के आवास पर गार्डनिंग वर्क, पर्यवेक्षण कार्य, आउटसोर्स का रिकार्ड, आकस्मिक कार्य जैसे गिरे पेड़ों का निस्तारण, बजट और पौधारोपण मद में पौधारोपण का कार्य, वृहद वृक्षारोपण एवं उनकी देखभाल, पेड़ों की ट्रीमिंग, हेज, लान जंगल के पेड़ों की देखभाल, क्यारी बनाना आदि कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही सुनिश्चित होता है। इस हेतु उपकरण भी उपलब्ध है जिनका विवरण निम्नवत् है :-

उपकरण का नाम	उपलब्ध संख्या	
	उद्यान निरीक्षक—1	उद्यान निरीक्षक—2
लान मूवर मशीन (पेट्रोल)	03	02
फुट स्प्रेयर मशीन	01	02
हैन्ड स्प्रेपर मशीन	—	01

- 3.7 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता/कार्यभार के आधार पर कर्मचारी प्रस्तावित किये जा रहे हैं। भविष्य में परिस्थितियों पर विचार—विमर्श कर आउटसोर्स बजट बढ़ा कर आगे और भी विभागीय कर्मचारियों को कम करने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान कार्य दशाओं के अनुसार आवश्यक कर्मचारी का आंकलन निम्नवत् है :-

3.7.1 उद्यान-1 इकाई हेतु प्रस्तावित कर्मचारी :-

कार्य का नाम	कर्मचारियों की सं.	सप्ताह में कर्मचारी तैनाती दिनों की सं.	पाली
विभिन्न बंगलों जैसे बंगला सं0 20, 19, 23, 24, 25, 51, 59 एवं अन्य में उद्यानीय कार्य हेतु	04	प्रति बंगला 2-2 या 3-3 दिन	दोनो पाली
रात व दिन में चौकीदारी के कार्य हेतु	02	बारी-बारी से दिन रात ड्यूटी	—
ठेकेदार के कार्य की देख-रेख एवं अन्य कार्य हेतु	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
अन्य उद्यानीय कार्य हेतु	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
आफिस के कार्य हेतु	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
योग	09		

3.7.2 उद्यान-2 इकाई हेतु प्रस्तावित कर्मचारी :-

कार्य का नाम	कर्मचारियों की सं.	सप्ताह में कर्मचारी तैनाती दिनों की सं.	पाली
महाप्रबन्धक आवास संख्या-01	04	प्रतिदिन	दोनो पाली
उप महाप्रबन्धक आवास संख्या-04	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
आवास सं. 31, 32, 33, 2, 11, 370 एवं अन्य आवास तथा विविध कार्य	05	2-2 दिन/अभवा जो सम्भव हो।	दोनो पाली
सभी सर्विस भवनों/महाप्रबन्धक कार्यालय को छोड़कर	02	प्रतिदिन	दोनो पाली
महाप्रबन्धक कार्यालय	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
नर्सरी नं.-2 के उद्यानीय कार्य हेतु	01	प्रतिदिन	दोनो पाली
चौकीदार	02	बारी-बारी से रात दिन	
आफिस व ठेकेदार के कार्य से संबंधित	01	प्रतिदिन	—
लान एव हेज कटिंग	02	प्रतिदिन	दोनो पाली
योग	19		

3.8 स्वीकृत एवं प्रस्तावित कर्मचारी संख्या की तुलना :—

कुल स्वीकृत कर्मचारी (माली, खलासी, चौकीदार) = 30

प्रस्तावित कर्मचारी संख्या = 19 + 9 = 28

आवश्यकता से अधिक कर्मचारी = 30—28 = 02

3.9 संस्तुतियों:—

3.9.1 यह संस्तुति दी जाती है उद्यान निरीक्षक ईकायों के अधीन ग्रुप “डी” के 02 पद जो आवश्यकता से अधिक पाये गये हैं उन्हें अतिशीघ्र अभ्यर्पित किया जाय।
